करनाल केसरी

SUNDAY, JANUARY 17, 2016. KARNAL KESARI

विचार

The greatest test of courage on earth is to bear defeat without losing heart.

आज मौसम साफ रहेगा।

सूर्योदय 07.18
सूर्यास्त 05.47

तापमान अधिकतम 20 | न्यूनतम 05

विचार

दूसरी जगह किया हुआ पाप पुण्यक्षेत्र में नष्ट हो जाता है पर पुण्यक्षेत्र में किया हुआ पाप तो वज्रलेप हो जाता है। इसे हमें कदापि भूलना नहीं चाहिए।

निसिंग में 50 व घरौंडा में 52 पंचायतों का चुनाव आज

निसिंग में 106 बूथ और घरौंडा में 81 बूथ अतिसंवेदनशील, फाइनल रिहर्सल के बाद पोलिंग पार्टियां गांवों में रवाना, आज प्रात: साढ़े 7 से शाम 4 बजे तक होगा मतदान

करनाल, 16 जनवरी (चावला): हाड कंपा देने वाली ठंड के बीच घरौंडा और निसिंग में पंचायती चुनावों को लेकर राजनीतिक गर्मी बरकरार है। रविवार को निसिंग में 50 तथा घरौंडा में 52 पंचायतों के लिए दोनों ब्लाकों के ग्रामीण अपनी पसंद की ग्रामीण सरकार चुनेंगे। रविवार की शाम चुनावी रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न करवाने को लेकर जहां कई सुपरवाइजर तैनात किए हैं, वहीं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट भी तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा निसिंग में 106 तथा घरौंडा में 81 अतिसंवेदनशील बूथ घोषित किए गए हैं जहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर दिए गए हैं। रविवार की सुबह साढ़े 7 से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होगा। डी.डी.पी.ओ. कार्यालय में कार्यरत महिला कर्मी रजनी के मुताबिक घरौंडा में एक पंचायत में सरपंच सर्वसम्मति से चुना गया है जबकि निसिंग में कहीं भी सर्वसम्मति नहीं बन पाई। इसके अलावा निसिंग में पंचायत समिति के 2 सदस्य सर्वसम्मति से चुने गए हैं जबकि घरौंडा में कहीं पर पंचायत समिति के लिए सर्वसम्मति नहीं बन पाई। करनाल में भी 2 स्थानों पर सरपंच सर्वसम्मति से चुने गए हैं जबकि नीलोखेड़ी में 3 गांवों में सरपंच सर्वसम्मति से चुने गए हैं। इसके अलावा करनाल ब्लाक में 2 सदस्य पंचायत समिति के लिए भी सर्वसम्मति से चुन लिए गए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी जे. गणेशन ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही कतई सहन नहीं की जाएगी।

कम्युनिटी सैंटर से पोलिंग पार्टियां अपने-अपने बूथों की ओर जाती हुईं। (देवेंद्र)

बूथों पर जाने से पहले पोलिंग पार्टियों को सम्बोधित करते निर्वाचन अधिकारी। (देवेंद्र)

सभी पोलिंग पार्टियां चुनाव के कार्य को सावधानी और सतर्कता के साथ सम्पन्न करवाने के लिए शनिवार को मास्टर ट्रेनरों द्वारा सभी को बैल्ट बॉक्स व ई.वी.एम. से मतदान करवाने की अंतिम रिहर्सल करवाई गई तथा पोलिंग पार्टियों को चुनाव सामग्री वितरित कर दी गई है। उन्होंने सभी अधिकारी व कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए कि स्थानीय ग्रामवासियों व उम्मीदवारों से किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत सुविधा नहीं लेंगे। मतदान के दिन यदि कोई परेशानी या ई.वी.एम. इत्यादि में कोई तकनीकी खराबी होती है तो तुरंत उसकी सूचना ड्यूटी मैजिस्ट्रेट या सुपरवाइजर को देंगे ताकि चुनावी प्रक्रिया सुचारू रूप से सम्पन्न हो सके।

उन्होंने कहा कि 17 जनवरी को मतदान निर्धारित समय पर शुरू करवाएं। मतदान से पहले पोलिंग एजैंटों के समक्ष मॉक पोल जरूर करवाएं। उन्होंने कहा कि बूथ के अन्दर किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं आने दें जिसका चुनावी प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। अतिसंवेदनशील बूथों पर संबंधित सुपरवाइजर की उपस्थिति में पोलिंग शुरू करवाई जाए। ड्यूटी पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतदान के लिए आयोग द्वारा फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 15 अन्य पहचान पत्र भी मान्य किए गए हैं जिनमें ड्राइविंग लाइसैंस, पैन कार्ड, सेवा पहचान कार्ड, फोटोयुक्त बैंक पासबुक, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त विकलांग प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त हथियार लाइसैंस, फोटोयुक्त मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त सम्पत्ति दस्तावेज, फोटोयुक्त पैंशन दस्तावेज, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त राशन कार्ड, आधार कार्ड तथा पासपोर्ट शामिल हैं। निसिंग खंड में 171 और घरौंडा में 210 मतदान केन्द्र हैं।

निसिंग के 18 गांवों में 106 बूथ अतिसंवेदनशील हैं।

एस.पी. पंकज नैन ने बताया कि पुलिस ग्रामीण चुनावों को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। असंध और इंद्री में पहले भी शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न करवाए जा चुके हैं। ठीक उसी तरह घरौंडा और निसिंग में भी चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से सम्पन्न होंगे। अति संवेदनशील तथा संवेदनशील बूथों पर पुलिस तैनात कर दी गई है। इसके अलावा संबंधित पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी चुनावों को लेकर लगा दी गई है। सैंकड़ों पुलिसकर्मी चुनावों के दौरान तैनात रहेंगे। किसी को भी गड़बड़ी नहीं करने दी जाएगी। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।